उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या– 1711–कार्य–चौदह/पाकालि/2021/38–के/2021 **दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021**

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा,
एवं केस्को–कानपुर।

विषयः– वितरण स्कन्ध के समस्त अवर अभियन्ताओं हेतु साइट स्टोर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वितरण स्कन्ध के अवर अभियन्ताओं को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सामग्री के (1) उचित रखरखाव, (2) गुणवत्ता अप्रभावित रखने तथा (3) सदुपयोग आदि के उद्देश्य से साइट स्टोर की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता कारपोरेशन स्तर पर समझी गयी है। उक्त व्यवस्था हेतु बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :–

1. समस्त साइट स्टोर की स्थापना 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर निर्मित भवनों में आवश्यकतानुसार की जायेगी।
2. मात्र हल्के तथा दैनिक आवश्यकता के सामानों यथा स्पेयर्स एवं कन्ज्यूमेबल्स का भण्डारण करने हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर उपलब्ध कमरे के अन्दर आवश्यक रैक एवं फर्नीचर उपलब्ध कराकर तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर "साइट स्टोर" के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
3. विभागीय मितव्ययता के दृष्टिगत, वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधनों से ही "साइट स्टोर" के कार्यकलापों से सम्बन्धित कार्य कराया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति में निरन्तरता बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम मात्रा में स्टोर सामग्री निर्गत की जायेगी।
5. 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थित "साइट स्टोर" पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा प्रणाली के स्थापना का निर्णय उपकेन्द्रवार आवश्यकता अनुरूप डिस्काम स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।
6. वर्तमान में जिन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर "साइट स्टोर" हेतु कमरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर भूमि उपलब्धता होने की स्थिति में मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय के संलग्न पत्र संख्या–4739–मु0अ0(जानपद)पारेषण–द्वितीय/B–20/TC दिनांक 10.09.2021 में प्राविधानित निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार साइट स्टोर की स्थापना करायी जायेगीः–

   "वर्तमान में प्रचलित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु नियन्त्रण कक्ष की ड्राइंग में कुछ परिवर्तन करते हुए अवर अभियन्ताओं हेतु एक स्टोर रूम प्राविधान किया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु कन्ट्रोल रूम वर्तमान रेस्पो लागत में रू0 3.17 लाख की लागत अतिरिक्त आयेगी। परन्तु शहरी क्षेत्र हेतु कन्ट्रोल रूम की रेस्पो लागत में कोई अतिरिक्त बढ़ोत्तरी नही होगी क्योंकि इसमे स्टोर का प्राविधान वर्तमान प्रचलित ड्राइंग में ही कुछ संशोधन करके कर लिया गया है।"

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ। 1414